कार्यालय विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय से नियुक्त परीक्षकों से प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षायें सम्पन्न नहीं कराई जा रही है । संस्थान /महाविद्यालयों के द्वारा स्वयं अपने स्तर से ही प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा हेतु परीक्षकों की नियुक्ति कर परीक्षायें सम्पन्न करा रहे हैं । जो कि विश्वविद्यालय के आदेशो/निर्देशों का स्पष्टतः उल्लंधन है ।

विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर यदि सहमति नही दी जाती है तो संस्थान/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक से परीक्षा कराने में असमर्थता पत्र लिखित रुप से प्राप्त करने के उपरान्त ही संस्थान/महाविद्यालय अन्य परीक्षक को नियुक्त किये जाने का अनुरोध लिखित रुप में विश्वविद्यालय से करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय पुनः परीक्षक नियुक्त कर सकेगा । विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा दी गई मौखिक स्वीकृति पर ही परीक्षक बदला जाना भी नियमानुकुल नही है । मौखिकी/ प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु परीक्षकों की नियुक्ति अधोहस्ताक्षरी के द्वारा ही की जा सकेगी ।

अतः जिन संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से प्रयोगात्मक/मौखिक परीक्षायें सम्पन्न नही कराई जा रही है उन संस्थानों /महाविद्यालयों का परीक्षाफल द्योषित नहीं किया जा सकेगा तथा संस्थान/महाविद्यालय के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

कुलसचिव

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,बादशाहीथौल ,टिहरी गढ़वाल

सं0 सख्या– अतिगो0/2017/350 दिनॉक 19–05–2017

प्रतिलिपिः

1– समस्त संस्थानों के निदेशक/ प्राचार्यो को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करेगें ।

2– कुलपति महेादय, को सादर प्रेषित ।

3– सहायक परीक्षा नियन्त्रक (मुख्य/व्यावसायिक परीक्षा) ।

4– वित्त अधिकारी /सहायक कुलसचिव (वित्त)।

5– प्रभारी अतिगोपनीय/गोपनीय/परीक्षा ।

6– कार्यालय प्रति ।

कुलसचिव